

बिहार सरकार,  
श्रम संसाधन विभाग

शुद्धि-पत्र

श्रम संसाधन विभाग (सरकार पक्ष) के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, उप सचिव का अन्यत्र स्थानान्तरण हो जाने के कारण विभागीय ज्ञापांक- 2287 दिनांक- 13.08.2015 द्वारा श्री अमरेन्द्र नारायण मिश्र, अवर सचिव को निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी घोषित किया गया है।

(2) उक्त के फलस्वरूप पूर्व में निर्गत स्वीकृत्यादेशों में आंशिक संशोधन करते हुए संबंधित राशि की निकासी "अवर सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा की जायेगी" पढ़ा जाय।

क्र०सं०	स्वीकृत्यादेश संख्या	दिनांक-
1.	132	03.08.2015
2.	133	05.08.2015
3.	135	05.08.2015
4.	136	05.08.2015
5.	137	05.08.2015
6.	138	06.08.2015
7.	139	06.08.2015
8.	140	06.08.2015
9.	141	06.08.2015
10.	142	06.08.2015
11.	143	06.08.2015
12.	520	27.02.2015
13.	1568	08.06.2015

(3) पूर्व स्वीकृत्यादेशों में निहित शेष शर्तें यथावत् रहेंगी।

ह०/-

(अशोक कुमार सिंह)  
विशेष कार्य पदाधिकारी

ज्ञापांक-5/श्रम स्था० विविध पत्राचार-09/2013 श्र०सं०-

पटना, दिनांक-

प्रतिलिपि- कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह०/-

(अशोक कुमार सिंह)  
विशेष कार्य पदाधिकारी

क०प०उ०

